न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 34/2019 (RCMS No. :-2019/00077)

उनवानी प्रकरण :–

1. धनीराम पुत्र गयाचन्द जाति गूर्जर निवासी ग्राम बागथर तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर ———————————————अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेड़ी जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.08.2019 तहसीलदार बसेड़ी प्र.सं. 02/19 उनवानी राज0 सरकार बनाम धनीराम अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–31.10.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेड़ी के निर्णय दिनांक 22.08.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का बागथर तहसील बसेड़ी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3184, खसरा नम्बर 3123 रकवा 0.50 हैक्टेयर पर नाजायज अतिक्रमण दर्शाते हुए 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही कर लगान का पचास गुना शास्ति राशि 238/–रूपये करते हुए 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलान्ट पर कोई तामील नही हुई है न अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नही दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पुराना कब्जा होने बावत कोई साक्ष्य नहीं है, इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2019 निरस्त किया जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2019 की प्रमाणित प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं 15 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है, और ना ही साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.09.2019 को हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य मे कोई कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2019 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलान्ट पर विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का

(आर० के० पाथरीवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

अवलोकन कर मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है। तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेड़ी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं असल शपथ पत्र निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)